मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1999 (फाल्गुन 7, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए- 3- 32- 94- विक- पांच- (67), दिनांक 5 सितम्बर, 1998 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-15 (2) -98-एक-10, दिनांक 22 सितम्बर, 1998 पटल पर रखेंगे. एफ

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, ग्वालियर की मंधाराम बिस्कुट फैक्ट्री के एक श्रमिक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, बिलासपुर जिले के खुड़िया जलाशय के समीप की भूमि का आवंटन भूमिहीन कृषको को न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम गुदमा के पंचायत सचिव की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजमणि पटेल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले की जरमोहरा उद्वहन सिंचाई योजना से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले में कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के बिलाडी की एक महिला की भूख से मौत होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सदस्य, डिण्डोरी जिले में माहू रोग के प्रकोप से फसलों की क्षति होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले के मझौली ब्लाक में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत एक्सपायरी डेट के वैक्सीन का प्रदाय किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सर्वश्री प्रेमसिंह, अजय विश्नोई, सदस्य, पाण्दुर्णा, चित्रकूट एवं पाटन क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री रावदेशराज सिंह यादव, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, गुना जिले के ग्राम कचनार निवासी एक व्यक्ति द्वारा उप कलेक्टर कार्यालय के समक्ष आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के बैहर लोक निर्माण उप संभाग क्रमांक-एक अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री कंकर मुंजारे, भूपेन्द्र सिंह, नंदकुमार साय, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम घरघोड़ा में एक युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री चन्द्रशेखर देशमुख, सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के विभिन्न भूमि संरक्षण उप संभागों में अनियमितता होने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री रणवीर सिंह रावत, सदस्य, शिवपुरी जिले के नरवर विकासखण्ड के अन्तर्गत अनेक ग्रामों मे फ्लोराईड युक्त पेयजल पाये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले के रामानुजगंज स्थित काष्ठागार बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में फ्लोराईड युक्त पेयजल पाये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर जिले के गढ़ाकोटा के पास स्थित जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(19) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, नरेन्द्र सिंह तोमर, नंदकुमार साय, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम नन्हेता के आदिवासी युवक को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, रतलाम जिले के नामली थानान्तर्गत एक बस में लूट की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रमेश सक्सेना, सदस्य, रीवा एवं सीहोर जिले में खसरे के प्रकोप से अनेक बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री मुंशीलाल, कमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, रतलाम से पेटलावद, इन्दौर से खण्डवा एवं भोपाल से इन्दौर जा रही बस में लूट की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम धोड़ी बावड़ी निवासी अनुसूचित जाति के युवकों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री मुन्ना सिंह भदौरिया, बंशीलाल जाटव, मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले में उपजाऊ भूमि का कटाव होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक वन कर्मी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर स्थित जिला जेल से दो कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के जैसीनगर व राहतगढ़ विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सईद अहमद, सदस्य, सतना जिले के –
   (क) ग्राम गोरईया रोड रामस्थान चौराहे में विद्युतीकरण किये जाने;
   (ख) ग्राम देवरा में हैण्डपंप लगाये जाने; एवं
   (ग) ग्राम कलवलिया में हैण्डपंप लगाये जाने;
(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सकेरा से चौमो तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने;
(3) हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम महौली टोला (बड़ेरा) में पांच हार्स पावर का विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने; तथा
(4) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सरकनपुर मे हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः).

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री रमेश सक्सेना, लाल सिंह राणावत तथा डॉ.नरोत्तम मिश्र, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

40 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश की समस्त विधवा महिलाओं को (जो भले ही पचास वर्ष से कम उम्र की हो) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता दी जाय."

(2) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

50 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में टी.बी. की बीमारी से बचने हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध कराई जायें."

(3) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

1 घन्टा " सदन का यह मत है कि प्रदेश के शहरों के मध्य अथवा आस-पास स्थित पशु वध गृहों को शहर की सीमा से 15 किलो मीटर दूर स्थापित किया जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 1999